

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

नम्बर व  
तारीख  
अहकाम जो  
इस हुकम की  
तामील में जारी  
हूए

06.12.22

पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। तहसीलदार (भू.अ.) नौखड़ा के पत्रांक 84 दिनांक 14.11.2022 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी की बहस सुनी। वकील वादी द्वारा 100/- रुपये का नॉन ज्यूडिशल स्टाम्प पेश कर माफिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिकरी करने का निवेदन किया। अतः भूमि धारक तहसीलदार भूमि धारक तहसीलदार नौखड़ा द्वारा राजस्व ग्राम कूकणों की ढाणियां पटवार क्षेत्र गोलिया जैतमाल तहसील नौखड़ा के खेत खसरा नम्बर 120 रकबा 4.7753 हैक्टेयर का प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर माफिक विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार से अंतिम डिकरी किया जाता है:-

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान	वरग
1	तगाराम पुत्र घमण्डाराम जाति जाट सा.देह खातेदार	120	0.0647	बा. सो.	0.02	लाल
2	अणदू पत्नी खंगाराराम हि. 74/584 गेनीदेवी पत्नी नैनाराम हि.288/584 जीयो पत्नी खंगाराराम हि.74/584 महिपाल पुत्र खंगाराराम हि.148/584 रहन-अणदू व जीयो का हि. स. भू.वि.बैंक लि. शाखा बालोतरा	120	4.7106	बा. सो.	1.36	काला

भूमि धारक तहसीलदार नौखड़ा को निर्देश दिये जाते हैं कि राजस्व रेकॉर्ड में इसी प्रकार अमल दरामद कर अलग अलग खाता नम्बर अंकित किया जावे। संलग्न विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। इसी प्रकार अंतिम डिकरी पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... 6/12/22 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।



(प्रमोद कुमार)  
सहायक कलेक्टर, गुडामालानी



## डिगरी व मुकृद्दमे इब्त्दाई

(ओ. 20 रू. 6-7 जाब्ता दीवानी)

( Civil Procedure Code Appendix 'D'-1 )

अज अदालत सहायक कलक्टर ( S.D.O. ) गुडामालानी  
व इजलास श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

### वादीगण

1. तगाराम पुत्र घमण्डाराम  
जाति जाट निवासी कूकणों की ढाणियां (मीठीबेरी) तहसील नौखडा जिला बाड़मेर

बनाम

### प्रतिवादीगण

1. अणदू पत्नी खंगाराराम
2. गेनीदेवी पत्नी नैनाराम
3. जीयो पत्नी खंगाराराम
4. महिपाल पुत्र खंगाराराम  
जाति जाट निवासी कूकणों की ढाणियां (मीठीबेरी) तहसील नौखडा जिला बाड़मेर
5. तहसीलदार नौखडा
6. शाखा प्रबन्धक स.भू.वि.बैंक लि. शाखा बालोतरा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक :- 6/12/22

मुकदमा नम्बर :- 83/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दई व ... अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि भूमि धारक तहसीलदार नौखडा द्वारा राजस्व ग्राम कूकणों की ढाणियां पटवार क्षेत्र गोलिया जैतमाल तहसील नौखडा के खेत खसरा नम्बर 120 रकबा 4.7753 हैक्टेयर का प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर माफिक विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार से अंतिम ड्रिकी पारित की जाती है :-

क. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान	बरंग
1	तगाराम पुत्र घमण्डाराम जाति जाट सा.देह खातेदार	120	0.0647	बा.सो.	0.02	लाल
2	अणदू पत्नी खंगाराराम हि. 74/584 गेनीदेवी पत्नी नैनाराम हि. 288/584 जीयो पत्नी खंगाराराम हि.74/584 महिपाल पुत्र खंगाराराम हि.148/584 रहन-अणदू व जीयो का हि. स.भू.वि. बैंक लि. शाखा बालोतरा	120	4.7106	बा.सो.	1.36	काला

भूमि धारक तहसीलदार नौखडा को निर्देश दिये जाते हैं कि राजस्व रेकर्ड में इसी प्रकार अमल दरामद कर अलग अलग खाता नम्बर अंकित किया जावे। संलग्न विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 6/12/22 को जारी की गई।



( प्रमोद कुमार )  
सहायक कलक्टर गुडामालानी  
(S.D.O.) गुडामालानी